**प्रेस विज्ञप्ति**

**13.02.2026**

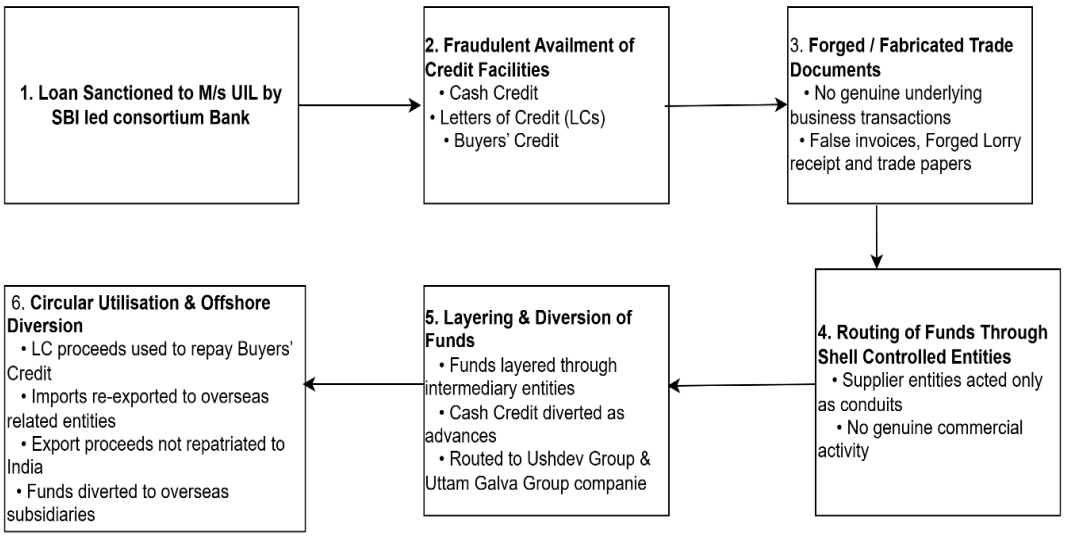
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने महाराष्ट्र के मुंबई और रायगढ़ जिलों में स्थित भूखंडों और कार्यालय इकाइयों सहित 132.85 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स उश्देव इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) के मामले में अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

ईडी ने सीबीआई, मुंबई की बीएस एंड एफबी द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर शिकायत के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें लगभग 1,438 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

जांच से पता चला कि आरोपियों ने फर्जी और मनगढ़ंत व्यापारिक दस्तावेज जमा करके, बिना किसी वास्तविक व्यापारिक लेन-देन के, धोखाधड़ी से नकद ऋण, साख पत्र (एलसी) और खरीदार ऋण प्राप्त किए। इसी आधार पर, कंसोर्टियम बैंकों को धनराशि जारी करने के लिए प्रेरित किया गया। यह पाया गया कि एलसी की धनराशि फर्जी और नियंत्रित आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को प्राप्त हुई, जिनका उपयोग केवल माध्यम के रूप में किया गया था। बाद में, धनराशि को कई मध्यस्थ संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया गया और उशदेव समूह की कंपनियों को वापस भेज दिया गया, जिससे बिना किसी व्यावसायिक औचित्य के चक्रीय लेन-देन की स्थिति उत्पन्न हुई।

आगे की जांच से पता चला कि कैश क्रेडिट फंड का एक बड़ा हिस्सा अग्रिम ऋण के बहाने संबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया था। ये संस्थाएं निष्क्रिय पाई गईं या वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न नहीं थीं। अंततः ये फंड उत्तम गाल्वा समूह की कंपनियों को भेजे गए, जो अपराध की आय के हेरफेर और हेराफेरी का संकेत देते हैं। यह भी पाया गया कि धोखाधड़ी से प्राप्त एलसी की रकम का उपयोग बायर्स क्रेडिट सुविधाओं को चुकाने के लिए किया गया था, जिनसे आयात को वित्त पोषित किया गया था और फिर उन्हें विदेशों में संबंधित संस्थाओं को पुनः निर्यात किया गया था। निर्यात से प्राप्त आय को भारत में वापस नहीं लाया गया और विदेशों में जहां भी इसे प्राप्त किया गया, उसे विदेशी सहायक कंपनियों और संबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया।

**कथित धन शोधन का प्रवाह**




इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक 176.37 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

आगे की जांच जारी है।

